अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 20, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015
No. 20, Port Blair, Friday, February 06, 2015

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 6 फरवरी, 2015

फार्म– II
(नियम 3(3) देखें)
विनियम की धारा – 8(2) के तहत मास्टर प्लान के अनुमोदन के संबंध में सूचना

सं. 18/2015/फा.सं. टी.पी–76/मु.अभि./2014/739(पी.एफ.).– अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना विनियम, 1994 (1994 की सं. 7) के धारा 8 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), हैवलॉक तथा नील द्वीप विकास क्षेत्र के मास्टर प्लान का अनुमोदन करते हैं ।

हैवलॉक तथा नील द्वीप विकास क्षेत्र के मास्टर प्लान को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा निरीक्षण हेतु इसकी प्रति सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान नगर योजनाकार के कार्यालय एवं निम्नलिखित कार्यालय में उपलब्ध है :–

1. प्रधान का कार्यालय, गोविन्दनगर ग्राम पंचायत, गोविन्दनगर, हैवलॉक द्वीप ।
2. प्रधान का कार्यालय, श्यामनगर ग्राम पंचायत, श्यामनगर, हैवलॉक द्वीप का कार्यालय ।
3. प्रधान का कार्यालय, नील केन्द्र ग्राम पंचायत, नील केन्द्र, नील द्वीप का कार्यालय ।
4. नगर एवं ग्राम योजना एकक, मु.अ. कार्यालय, निर्माण भवन, अ.लो.नि.वि, पोर्ट ब्लेयर ।

यह मास्टर प्लान अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि के प्रभाव से प्रचालन में आएगी। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियाँ संदर्भ एवं आम जनता के उपयोग हेतु नगर एवं ग्राम योजना एकक, मु.अ. का कार्यालय, अ.लो.नि.वि, पोर्ट ब्लेयर में बिक्री के लिए उपलब्ध है। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियाँ अ. तथा नि. प्रशासन और अ.लो.नि.वि की वेबसाईट: www.and.nic.in तथा www.apwd.and.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

उप राज्यपाल,

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
उप राज्यपाल के आदेश से एवं नाम से,

ह./–
संयुक्त सचिव (लो.नि.वि/श.वि.)
अ. तथा नि. प्रशासन
सचिवालय